संख्या- 96 /2026 / 892 /चार-2026 - 1688649

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 25 मार्च, 2026**

विषय:- प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 'कल्चरल क्लब' के अन्तर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में 17 महाविद्यालयों को प्रथम किश्त की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या-1950/भा0सं0वि0वि0-5(14)/2023, दिनांक 18 मार्च, 2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि शासनादेश संख्या-1992/चार-2023, दिनांक 16 जून, 2023 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2025-26 में कल्चरल क्लब स्थापना/ संचालन के संबंध में दिनांक 05.12.2025 को कुलपति, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में आयोजित कल्चरल क्लब बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के समस्त परिक्षेत्रों के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी द्वारा अग्रसारित राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रावधानित धनराशि के अन्तर्गत निम्नलिखित 18 महाविद्यालयों को प्रथम किश्त रू0 50,000/- अवमुक्त किया जाना है:-

क.सं.	महाविद्यालयों के नाम	परिक्षेत्र
1	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय रामकोला, कुशीनगर (उ०प्र०) मो0नं0-9839538209 gdcrmki@gmail.com	गोरखपुर
2	प्राचार्य, गन्ना उत्पादक स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बहेड़ी, बरेली मो0नं0- 9412680870 gucollege@rediffmail.com	बरेली
3	प्राचार्य, स्वामी शुकदेवानन्द कॉलेज, शाहजहाँपुर मो0नं0-9412367181 sspgspncollege@gmail.com	बरेली
4	प्राचार्य, दयानन्द वैदिक कॉलेज, उरई, जालौन (उ०प्र०) मो0नं0-9198204835 dvcoffice11@gmail.com	झांसी
5	प्राचार्य, श्री अग्रसेन कन्या पी.जी. कॉलेज, बुलानाला, वाराणसी मो0नं0 7985534479 dr.mithilesh999@gmail.com	वाराणसी
6	प्राचार्य, बापू स्नातकोत्तर महाविद्यालय, पीपीगंज, गोरखपुर मो0नं0-9005788024 bapupgc@gmail.com	गोरखपुर
7	प्राचार्य, महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, कम्पनी बाग, बस्ती मो0नं0-8439476525 mahilabasti@gmail.com	गोरखपुर
8	प्राचार्य, हीरालाल रामनिवास स्नातकोत्तर महाविद्यालय, खलीलाबाद, संत कबीर नगर मो0नं0-9919803784 hrpgcollage@gmail.com	गोरखपुर
9	प्राचार्य, लाल बहादुर शास्त्री स्मारक पी०जी० कालेज, आनन्दनगर, महराजगंज, गोरखपुर	गोरखपुर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

	मो0नं0-9839248780 drrampandey85@gmail.com	
10	प्राचार्य, के० बी० पी० जी० कालेज, मुसाफ्फरगंज, मीरजापुर मो0नं0-9455124242 kbpgcmzp@gmail.com	मीरजापुर
11	प्राचार्य, श्री अग्रसेन महिला महाविद्यालय, आजमगढ़ मो0नं0-7905701082 agrasenazn1966@gmail.com	आजमगढ़
12	प्राचार्य, राजकीय महिला महाविद्यालय, अहिरौली, आजमगढ़ मो0नं0-9214780014 gmdcahiraulaazamgarh@gmail.com	आजमगढ़
13	प्राचार्य, श्री अग्रसेन कन्या पी०जी० कॉलेज, बुलानाला, वाराणसी मो0नं0-7985534479 dr.mithilesh999@gmail.com	वाराणसी
14	प्राचार्य, रानी भाग्यवती महिला महाविद्यालय, बिजनौर, उ० प्र० मो०नं0-9837787953 rbdgirlspg@gmail.com	बरेली
15	प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, हस्तिनापुर, मेरठ, मो0नं0-8859918111 gdchastinapur@gmail.com	मेरठ
16	प्राचार्य, डी. ए. वी. रस्नातकोत्तर महाविद्यालय, बुलन्दशहर मो0नं0-8077804166 davpgcollegebsr@gmail.com	मेरठ
17	प्राचार्य, महराज सिंह कालेज, सहारनपुर मो0नं0-9411206383 mscollefesre@gmail.com	मेरठ
18	प्राचार्य, डी. एन. महाविद्यालय, गुलावठी (बुलन्दशहर), मेरठ मो0नं0-9997359390 dnpgcgulaothi@gmail.com	मेरठ

2. अवगत कराना है कि उक्त तालिका में क्रमांक- 5 एवं क्रमांक- 13 पर अंकित महाविद्यालय एक ही हैं जिससे प्रथम किश्त प्रदान किये जाने वाले महाविद्यालयों की कुल संख्या- 17 हो गयी है।

3. उपर्युक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्ताव के क्रम में प्रदेश के राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 'कल्चरल क्लब' के अन्तर्गत सांस्कृतिक गतिविधियों के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में **17** महाविद्यालयों को प्रथम किश्त के रूप में रू0 50,000/- प्रति महाविद्यलाय की दर से भुगतान किये जाने हेतु **रू0 8.50 लाख (रूपये आठ लाख पचास हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) प्रदेश के समस्त राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में 'कल्चरल क्लब' की स्थापना के संबंध में शासनादेश संख्या- 1992/चार-2023 दिनांक 16 जून, 2023 एवं शासनादेश संख्या- 656-चार-2024- 1688649 दिनांक 27 फरवरी, 2024 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ का होगा।

(4) संस्कृति निदेशालय/ भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। संस्कृति निदेशालय/ भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

(5) उपरोक्त धनराशि स्वीकृत मदों पर ही व्यय की जायेगी, इसका व्यय अन्य मदों पर कदापि नहीं किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन धनराशियों का प्रदेशन ही अकेले किसी प्रकार के व्यय करने का अधिकार नहीं देता, व्यय करने के लिए बजट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मैनुअल और वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों अथवा अन्य स्थाई आदेशों से शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की, जहॉ आवश्यकता हो, व्यय करने के पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

(6) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(7) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि को राजकोष से आहरित कर वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यदायी संस्था- योजना की नोडल संस्था भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/पोस्ट आफिस/ पी0एल0ए0 में जमा नहीं की जायेगी।

(9) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र संस्कृति निदेशालय तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-16-कल्चरल क्लब की स्थापना- 42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

(उमा द्विवेदी)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 96 /2026 / 892 (1) /चार-2026- 1688649 तद्दिनांक ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. कुलसचिव, भातखण्डे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
5. वित्त नियंत्रयक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-7/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(उमा द्विवेदी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in